दिनांक 11/01/2008 को मेसर्स पाण्डवपारा अण्डर ग्राउण्ड माईन क्षमता विस्तार कोल उत्खनन क्षमता 0.21 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष के सम्बंध में की गई लोक सुनवाई का विवरण :–

मेसर्स पाण्डवपारा अण्डर ग्राउण्ड माईन क्षमता विस्तार कोल उत्खनन क्षमता 0.21 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में लोक सुनवाई हेतु किये गये आवेदन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/12/2007 को स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, अंबिकावाणी एवं दिनांक 08/12/2007 को राष्ट्रीय समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित की जाकर दिनांक 11/01/2008 को लोक सुनवाई की तिथि निश्चित की गई। उक्त अवधि में परियोजना के सम्बंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 11/01/2008 को मेसर्स पाण्डवपारा अण्डर ग्राउण्ड माईन क्षमता विस्तार कोल उत्खनन क्षमता 0.21 मिलियन टन/वर्ष से 0.5 मिलियन टन/वर्ष हेतु बालक प्राथमिक शाला, पटेलपारा, ग्राम–सोरंगा, तह. बैकुंठपुर, जिला–कोरिया में प्रातः 11:30 बजे से श्री के.के.अग्रवाल, अपर कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई उपस्थित लोगों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रबंधन की ओर से श्री एन.आर. होल्कर द्वारा प्रस्तावित उद्योग के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उसके पश्चात् अपर कलेक्टर, बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा उपस्थित जन समुदाय से परियोजना बावत् विचार रखने हेतु कहा गया।

उपस्थित ग्रामवसियों, जन–प्रतिनिधियों द्वारा उद्योग प्रबंधन के समक्ष रखे गये विचार तथा उद्योग प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब निम्नानुसार है :–

1. भू–विस्थपितों को नौकरी और मुआवजा की समस्या है। वे नौकरी के लिए तड़प रहे है। (श्री गोरेलाल सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत–सोरंगा)
   शासन के प्रावधान अनुसार उचित नौकरी एवं मुआवजा दिया जायेगा।

2. कॉलरी खुले 18–20 साल हो गया है। लेकिन ग्रामीण जनता को नौकरी नहीं मिला है। कोयले का धूल उड़ता है जिससे खेती में पैदावार नहीं होता है। हम लोगों का इलाज नहीं किया जाता है। (श्री रामनाथ कुशवाहा, उप सरपंच ग्राम–सोरंगा)
   नौकरी, मुआवजा नियमानुसार दिया जायेगा। जो कोयला ट्रकों में भेजा जाता है। वह तारपोलिन से ढ़ंक कर भेजा जाता है। सभी का इलाज किया जाता है। एवं कैम्प आदि लगाकर किया जाता है। एवं किया जायेगा।

3. वाटर लेबल कम होता है। कृषि में पैदावार की क्षमता घट रहीं है। सोरंगा में पुल टूट गया है। जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका है। हास्पिटल में आम नागिरिकों का ईलाज नहीं किया जाता है। एम्बुलेंस आदि की सुविधा होनी चाहिये। ये सब सुबिधाएं उपलब्ध कराये तब क्षमता बिस्तार करें। रोड, राईट की समस्या है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाय। सामुदायिक भवन बनवाया जाय। (श्री सूर्यप्रताप सिंह नेताम, ग्राम–सोरंगा)
   कम बारिश के कारण वाटर लेबल कम होता है। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। व इमरजेंसी केश में एंबुलेंस उपलब्ध कराया जायेगा। एक दो जगह लाईट

दिया जा सकता है। एस.ई.सी.एल. का सामुदायिक भवन है जिसमें थोड़ा सा अनुदान राशि देकर उपयोग कर सकते है।

4. रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यापार बढ़ता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। ग्रामीण लोगों को जमीन के बदले कुछ लोगों को तो नौकरी, मुआवजा मिलता है। लेकिन अधिकांश लोगों को नौकरी, मुआवजा नहीं मिलता है। ग्रामीणों की अहम समस्या नौकरी है। अतः नौकरी, मुआवजा की समस्या को दूर किया जाय। प्राथमिक शाला भवन सोरंगा में 2 कमरें का निर्माण किया जाय। सोरंगा चौक में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाय। सभी ग्रामीणों का इलाज हास्पिटल में किया जाय। पाण्डवपारा की खदान में जिस नियम के तहत् पूर्व में भू–स्वामियों को नौकरी, मुआवजा दिया गया था उसी नियम के तहत् आज भी भू–स्वामियों को अधिग्रहित जमीन के बदले में नौकरी, मुआवजा दिया जाय। (श्री शैलेन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बैकुंठपुर)
उचित मुआवजा दिया जायेगा। जो आवेदन नहीं किये हैं। उनके द्वारा आवेदन किया जाय। तभी मुआवजा वितरित होगा। प्राथमिक शाला भवन में 2 कमरें निर्माण हेतु प्रस्ताव कमेटी (कम्पनी) में रखा जायेगा। सामुदायिक भवन एस.ई.सी.एल. का है। सभी ग्रामीणों का इलाज किया जायेगा। नौकरी, मुआवजा शासन के प्रावधान अनुसार दिया जायेगा।

5. टिमरी गांव में लगाये गये हैण्डपम्प सभी खराब है। उनका मरम्मत किया जाय। एवं सभी ग्रामों में नये हैण्डपम्प लगाये जायें। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा समस्त ग्रामवासियों को दी जाय। शॉपिंग काम्पलेक्स को बेरोजगार युवकों को आबंटित किया जाय। टेमरी के प्राथमिक स्कूल में बाण्ड्रीवॉल बनाया जाय। क्षमता विस्तार से हमें काई आपत्ति नहीं है। लेकिन 5 कि.मी. के दायरे में सभी ग्रामों का विकास किया जाय। ग्राम सोरंगा बाजार चौक से भण्डारपारा तक सीसी रोड का निर्माण किया जाय। गाम–खोड़ के पास बरसात के समय बहने वाले गन्दे पानी की समस्या से निदान दिलाया जावे। (श्री ध्रुवेश प्रताप सिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत–खोड़)
सोरंगा बाजार चौक के पास हैण्डपम्प एक हफ्ते के भीतर सुधारा जायेगा। प्राथमिक चिकित्सा सभी को एस.ई.सी.एल. हास्पिटल में उपलब्ध कराया जायेगा। शॉपिंग काम्पलेक्स का टेंडर निकालकर आबंटित किया जायेगा। स्कूल एवं आंगन बाड़ी दोनों में बाउण्ड्री वाल का प्रावधान है। ग्राम–सोरंगा बाजार चौक से भण्डारपारा तक सीसी रोड का निर्माण किया गया है। बरसात के समय बहने वाले गन्दे पानी की समस्या के निदान हेतु चेक डेम बनाया जायेगा।

अपर कलेक्टर, बैंकुंठपुर, जिला–कोरिया द्वारा अंत में लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को लोक सुनवाई के विवरण की जानकारी दी जाकर कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी	अपर कलेक्टर
क्षेत्रीय कार्यालय,	बैकुंठपुर जिला–कोरिया
छ.ग.प.सं.मंडल, अंबिकापुर	